## कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:-एफ 3/लेखा/15-16/3270-90

दिनांक :28/0//16

ऑफलाईन अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या : 35/15-16

नगर विकास न्यास, कोटा की ओर से निम्नांकित कार्यों के लिए कंस्लटेन्सी सर्विसेज/इस प्रकार का कार्य करने वाली अनुमवी फर्मों से मोहर बन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

उक्त कार्यों का विस्तृत विवरण, निविदा शर्ते, अनुमानित लागत, निविदा बेचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट https://sppp.rajasthan.gov.in एवं नगर विकास न्यास, कोटा की वेबसाईट https://www.uitkota.org पर देखा जा सकता है।

> अधिशाषी अभियंता नगर विकास न्यास, कोटा

## निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

Part	निविदा की क्र0सं0	ऑफलाईन निविदा विक्रय तिथि	ऑफलाईन निविदा प्राप्ति की तिथि	ऑफलाईन निविदा खोलने की तिथि
A	1 से 2	01.02.16 से 08.02.16 दोपहर 2.00 बजे तक	09-02-16 को दोपहर 2.00 बजे तक	09-02-16 को दोपहर 3.00 बजे

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रां. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि	खण्ड
	PART-"A" (ऑफलाईन	)			
I.S.	Consultancy work for Khasra No.4,5,6,8,9,10/438,169,170,171,188 Raipura Housing Scheme proposed under Provision 4-A (i)/4-B(i) of Chief Ministers Jan Awas Yojana:  Consultancy Services Raipura Housing Scheme proposed under Provision 4-A(i)/4-B(i) of Chief Ministers Jan Awas Yojana including complete Architectural & Engineering Designing of the project concept, Complete drawing, design & estimation of Houses(G+3) Water supply, electricity, sewerage system and other infrastructure development as per CMJAY 2015 Planning, preliminary drawing, all working drawing, structural designing & drawing with interior & furniture design, preparation of Tender document & DPR, visit to the site as per requirement of scope of work as directed by engineering in-charge complete.	9.00 lacs	1000/-	2 माह	आवास
2.	Consultancy work for Khasra No. 372, 548 & 552 of Deoli Arab Housing Scheme proposed under Provision 4-A (i)/ 4-B (i) of Chief Ministers Jan Awas Yojana:  Consultancy Services Deoli Arab Housing Scheme proposed under Provision 4-A(i)/ 4-B(i) of Chief Ministers Jan Awas Yojana including complete Architectural & Engineering Designing of the project concept, Complete drawing, design & estimation of Houses(G+3) Water supply, electricity, sewerage system and other infrastructure development as per CMJAY 2015 Planning, preliminary drawing, all working drawing, structural designing & drawing with interior & furniture design, preparation of Tender document & DPR, visit to the site as per requirement of scope of work as directed by engineering in-charge complete.	9.00 lacs	1000/-	2 माह	आवास

## Condition:

- 1- Tenderer/ Participant should have degree in Architecture & registered in council of Architecture or should have Architect in firm on regular basis for the last 3 years.
- 2- Tenderer/ Participant should have an experience of minimum Architectural Consultancy work for building construction (Structural Building Multi Type, private approved building by government agency/ Government Building etc.) of Rs. 1000.00 Lacs within last 5 Years from this financial year (Certificate to be enclosed) Or having consultancy work experience of minimum 5440.00 sqm built up area similar nature of work (EWS/LIG houses). (Certificate to be enclosed)
- 3- The final payment to the Architect will be as per the work order amount or actual work executed amount whichever will be less.

## नोट:-

- समस्त कार्यों के लिए धरोहर राशि कार्य की अनुमानित लागत पर न्यास में पंजीकृत सक्षम संवेदक द्वारा 1/2% राशि एवं अन्य विमागों में पंजीकृत सक्षम संवेदक द्वारा 2% राशि जमा करानी होगी।
- सभी संवेदकों को धरोहर राशि का डीoडीo केशियर के पास अथवा नकद राशि चालान के माध्यम से ओoबीoसीo बैंक, न्यास परिसर, कोटा में जमा करानी होगी तथा निविदा शुल्क की रसीद के साथ ड्रापट अथवा चालान का विवरण प्रस्तुत करने पर ही टेण्डर कॉपी जारी की जाएगी। पृथक-पृथक कार्यों के लिए धरोहर राशि पृथक-पृथक ड्रापट / चालान के माध्यम से जमा करानी होगी।

उक्त निविदा न्यास की वेबसाईट www.uitkota.org पर भी देखी जा सकती है।

- प्रथम तीन न्यूनतम दरदाता संवेदकों की धरोहर राशि को रोकते हुए शेष सभी संवेदकों को धरोहर राशि सात दिवस के अंदर लौटाई जावेगी तथा द्वितीय व तृतीय न्यूनतम दरदाता संवेदकों की धरोहर राशि कार्यादेश जारी होने के 10 दिवस पश्चात या निविदा वैधता तिथि पश्चात् (दोनों में से जो भी पहले हो) लौटाई जायेगी।
- राजस्थान मवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियम-2009 के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना दिनांक 30.4.09 के अनुसरण में न्यास द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के रिनंग/अंतिम बिलों के मुगतान पर 1% श्रम उपकर (L. Cess) मी देय होगा।

निविदा में प्रस्तुत दर प्रचलित बी.एस.आर., जिस पर निविदा आधारित है, से जितनी प्रतिशत कम आयेगी उतनी राशि की बैंक गारण्टी / डी०डी० विमाग में कार्यादेश जारी करने से पूर्व जमा करानी होगी। जो वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि से 28 दिन बाद कार्य संतोषजनक होने पर लौटाई जावेगी।

- निविदा में भाग लेने वाले सभी संवेदको / फर्मो को सूचित किया जाता है, कि निविदा में सम्मिलित होने से पूर्व, यह सुनिश्चित करले की वे निविदा के अनुरूप उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत है या नहीं उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत नहीं पाये जाने की स्थिति में निविदा निरस्त करने / निविदा निरस्त करते हुए जमा राशि जब्त करने का प्रावधान नगर विकास न्यास, कोटा में निहित रहेगा।
- उपरोक्त निविदाओं को बिना किसी कारण बताएं निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को रहेगा।

अधिशाषी अभियंता, नगर विकास न्यास, कोटा दिनांक : / / 16

क्रमांक:-एफ 3/लेखा/15-16/

जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार प्रतिलिपि निम्न को भेजकर लेख है कि न्यास द्वारा उक्त कार्य कराये जा रहे हैं। यदि इन कार्यों से आपके विभाग की सम्पत्ति / सेवाएँ प्रभावित होने की संभावना हो तो 15 दिवस की अवधि में अवगत कराने का कष्ट करें, अन्यथा यह माना जावेगा कि आपके विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, कोटा।

अति० जिला कलेक्टर (शहर) कोटा, अध्यक्ष, विकास सम्बन्धी समन्वय समिति, कोटा ।

उप आवासन आयुक्त, आवासन मण्डल, कोटा।

अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वाठ अभिठ विभाग, जेठवीठवीठएनठएलठ / जल संसाधन, सीठएठडीठ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा।

उप महाप्रबन्धक, भारत संचार निगम लि0 कोटा।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्री ओम बिरला, माननीय सांसद महोदय कोटा-बूदी, लोकसमा क्षेत्र
- माननीय विधायक महोदय, कोटा दक्षिण/माननीय विधायक महोदय लाडपुरा/माननीय विधायक महोदय कोटा उत्तर/माननीया विधायक महोदया, रामगंजमण्डी कोटा।
- महापौर महोदय, नगर निगम, कोटा।
- अध्यक्ष महोदय / सचिव महोदय, नगर विकास न्यास, कोटा।

प्रवंध निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग परिसर, शासन सचिवालय, जयपुर (राज०)।

- 11. मुख्य अभियता/अति०मुख्य अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता खण्ड प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/जल/विद्युत/प्रोजेक्ट/आवासीय, नगर विकास न्यास, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि कार्य के तकमीने शीध तैयार करवा कर पारित करवाने की कार्यवाही करें ।
- यदि निविदा प्रपत्र के अभाव में कोई निविदा निरस्त की गई तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी ।

13 समस्त पंजीकृत संवेदक / सूचना पटट, नगर विकास न्यास, कोटा ।

विज्ञप्ति लिपिक वास्ते निविदा सूचना प्रकाशनार्थ स्थानीय एवं राजकीय एवं राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में नियमानुसार।

15 कनिष्ठ अभियन्ता कृपया निविदा प्रपन्न तैयार कर प्रस्तुत करें ।

16 श्री सजीव शर्मा, कम्प्यूटर प्रोग्रामर को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि राज्य सरकार के परिपन्न संख्या F.2(4)FD/Exp-III/99 दिनांक 13-01-05 की अनुपालनार्थ सम्बन्धित विभाग को e-Mail करें। न्यास की वेबसाईट, State Public Procurement Portal की Website, http://sppp.raj.nic.in, पर निविदा / निविदा सूचना अपलोड के पश्चात अपलोड दिनाक की सूचना सम्बन्धित को उपलब्ध करावें एवं राजस्थान संवाद के माध्यम से निविदा सूचना प्रकाशन हेतु classified.samwad@gmail.com पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

17 समस्त पजीकृत संवेदक / सूचना पट्ट, नगर विकास न्यास, कोटा।

18 विज्ञापन शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान सवाद के माध्यम से प्रकाशित करवाने बाबत एवं समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशन की प्रतियाँ, जितने कार्यों का इस निविदा में उल्लेख है, उससे दुगनी एवं दो अतिरिक्त प्रतियाँ आवश्यक रूप से लेखा शाखा में प्रस्तुत करें।

> अधिशाषी अभियंता, नगर विकास न्यास, कोटा